बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–...........................

काoआo संo–8/आo (राजoउo)–2–64/2025............../– श्री अनिल कुमार आजाद, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा धारा–13 (1) (b) r/w 13 (2) r/w 12 Of PC Act, 1988 एवं BNS की धारा–61(2)(a) के तहत् विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या–26/25 दिनांक 22.11.2025 दर्ज किये जाने एवं उनका आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के प्रतिकूल पाये जाने के कारण विभागीय आदेश–6707 दिनांक–26.11.2025 द्वारा श्री अनिल कुमार आजाद, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1)(ग) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय–उपायुक्त मद्यनिषेध का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया था।

2. श्री अनिल कुमार आजाद, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध दो विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है एवं श्री आजाद दिनांक 31.01.2026 को वार्द्धक्य सेवानिवृत होने वाले हैं।
3. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री आजाद की वार्द्धक्य सेवानिवृति की तिथि दिनांक–31.01.2026 के अपराह्न के प्रभाव से उन्हें निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री अनिल कुमार आजाद, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित को उनकी वार्द्धक्य सेवानिवृति की तिथि दिनांक–31.01.2026 के अपराह्न के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।
5. श्री आजाद की निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या–8/आ0 (राज0उ0)–2–64/2025.......691......../ पटना, दिनांक–......30.01.26......

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/ समाहर्त्ता, औरंगाबाद/ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, दारोगा राय पथ, पटना को उनके पत्रांक–1187 दि0–24.11.2025 के आलोक में/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं पूर्णियाँ/उपायुक्त मद्यनिषेध, मगध प्रमंडल, गया एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर/श्री अनिल कुमार आजाद, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–उपायुक्त मद्यनिषेध का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं श्री मनोज कुमार राय, अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/26

सरकार के संयुक्त सचिव